

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-1, चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी- आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. - 65ए/16
संस्थित दिनांक - 19.01.2015

चरण पुत्र सूरदास जाति रावत आदिवासी
उम्र 40 साल निवासी ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादी

विरुद्ध

- 1 भैयालाल पुत्र इमरत जाति यादव आयु 55 साल
पेशा खेती
2. प्रतिपाल सिंह पुत्र भैयालाल जाति यादव
आयु 30 पेशा खेती
सभी निवासीगण ग्राम चकेरी
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 25.02.17 को पारित ::

- 01- यह वाद ग्राम चकेरी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-216/1/7 रक्बा-1.000 हैक्टेयर जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द अक्षरों से चिह्नित किया गया है तथा निर्णय के आगे के पदों में जिसे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर वादी का स्वत्व घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण से उक्त विवादित भूमि का कब्जा दिलाये जाने की सहायता सहित प्रतिवादीगण को उक्त विवादित भूमि में वादी के स्वत्व आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने के साथ 6000/- रुपये प्रतिफसल के हिसाब से अंतरलाभ धन प्रतिवादीगण से दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 02- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पर वादी काबिज चला आ रहा था तथा कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का पट्टा तहसील चंदेरी के प्रकरण क्रमांक-42अ-19/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक-04.09.2000 के द्वारा वादी को दिया गया। पट्टा मिलने उपरांत

वादी का विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर विधिवत राजस्व अक्श में वटा कायम किया गया उक्त विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं तथा उन्होंने वादी के कब्जे की भूमि पर गलत वटा अंकित कर अन्य स्थान पर वादी का वटा कर दिया। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उक्त अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वटांकन निरस्त कर पुनः प्रकरण सुनवाई के लिये तहसील चंदेरी भेजा गया, जो अभी विचाराधीन है। प्रतिवादीगण ने वादी की पत्नी सुशीला से भी मारपीट की जिसकी रिपोर्ट चंदेरी न्यायालय में विचाराधीन है। दिनांक-05.11.14 को प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया और गेंहू बो दिये जिसकी रिपोर्ट थाने पर करने पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। प्रतिवादीगण के विवादित भूमि पर कब्जा करने से वादी 6000/- रुपये प्रति फसल के हिसाब से 12000/- रुपये प्रतिवर्ष के फसल के लाभ से वंचित हो गया है। वाद कारण दिनांक-05.11.14 को प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने से उत्पन्न से यह वाद 6000/- रुपये का मूल्यांकन कर उस पर 155/- रुपये न्यायशुल्क के साथ निर्णय के चरण क्रमांक-01 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बावत् प्रस्तुत किया गया है।

03— प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने अपने प्रतिवाद पत्र में व्यक्त किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक-216/1/7 रक्बा-1.000 हैक्टेयर वादी के स्वामित्व की है इस तथ्य को स्वयं वादी को प्रमाणित करना है, वादी ने गलत मानचित्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी क्रमांक 1 की पत्नी दुज्जीबाई के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक-216/1/3 रक्बा-2.000 हैक्टेयर को अपनी बता कर मौके की स्थिति के विपरीत वाद प्रस्तुत किया। वादी मानचित्र में जिस स्थान पर अपनी भूमि बता रहा है उक्त भूमि का वादी को कभी कब्जा नहीं दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में तहसीलदार को पुनः प्रकरण का निराकरण करना है तब तक वादी विवादित भूमि को अपनी प्रकट नहीं कर सकता है। प्रतिवादीगण ने सुशीला बाई से कभी कोई मारपीट नहीं की उसके द्वारा गलत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 की पत्नी को दिनांक-27.01.96 को तहसीलदार चंदेरी ने पट्टा प्रदान कर जिस स्थान पर कब्जा दिया था उस स्थान पर वह आज काबिज है। प्रतिवादीगण ने वादी की किसी भी भूमि पर दिनांक-05.11.14 को कब्जा नहीं दिया। विवादित भूमि पर दिनांक-05.11.14 या उससे पूर्व वादी का कभी कब्जा नहीं रहा। जिससे 12000/- रुपये प्रतिवर्ष की वादी को हानि होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वादी वादपत्र में वाचित सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी ने कम न्यायशुल्क प्रस्तुत किया है तथा अंतरलाभ धन पर न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया है। इस न्यायालय को प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा दावे में असंयोजन का दोष है। अतः दावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

04— प्रतिवादी क्रमांक-03 तामिल वाद प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

05— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी ग्राम चकेरी, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 216/1/7 रक्बा 1.000 हैक्टेयर जिसे वाद संलग्न मानचित्र में लाल स्याही से अ,ब,स,द के रूप में दर्शाया गया है, का स्वत्वधारी है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व अवैध रूप से हस्तक्षेप कर कब्जा कर लिया गया है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या वादी, प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति की दिनांक तक 6 हजार रुपये प्रतिफसल के हिसाब से क्षतिपूर्ति अंतर्लाभ धन प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	क्या प्रस्तुत वाद की इस न्यायालय को श्रवण अधिकारिता है ?	प्रमाणित है।
5.	क्या प्रस्तुत वाद में असंयोजन का दोष है ?	प्रमाणित नहीं।
6.	क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	प्रमाणित नहीं।
7.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 20 अनुसार प्रदान किया गया।

—::सकारण निष्कर्ष::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष :—

06— वादी के अनुसार विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—216/1/7 रक्बा—1.000 हैक्टेयर उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जो पूर्व के कब्जे के आधार पर शासन द्वारा उसे प्रकरण क्रमांक—42अ19/1999—2000 पारित आदेश दिनांक—04.09.2000 के द्वारा पटटे पर प्राप्त हुई थी तथा पटटा मिलने के पश्चात् कब्जे के आधार पर उसका राजस्व अक्श में बंटाकन भी किया गया था तथा वादी के अनुसार उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने गलत बटा अंकित कराकर वादी का बटा अन्य स्थान पर कराकर उसकी विवादित भूमि पर दिनांक—05.11.14 को जबरन कब्जा कर लिया था।

07— विवादित भूमि के संबंध में ही प्रतिवादीगण का अपने अभिवचनों में कहना है कि वादी ने वादपत्र के साथ प्रस्तुत मानचित्र में विवादित भूमि को मौके के स्थिति अनुसार दर्शित नहीं किया है। वादी जिस भूमि को विवादित बता रहा है उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 की पत्नी दुज्जी बाई के स्वामित्व की भूमि होकर सर्वे क्रमांक-216/1/3 रक्बा-2.000 हैक्टेयर है जिस मानचित्र में वादी अपनी भूमि प्रकट कर रहा है। प्रतिवादीगण का भी कहना है कि उक्त भूमि का पट्टा प्रतिवादी क्रमांक-1 की पत्नी को दिनांक-27.01.96 को तहसीलदार चंदेरी द्वारा प्रदान किया गया था तथा जिस स्थान पर उसे कब्जा दिया गया था वह आज भी उसी स्थान पर काबिज है।

प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के इन अभिवचनों को कि, भूमि सर्वे क्रमांक-216/1/7 रक्बा-1.000 हैक्टेयर वादी को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई थी, को कोई विशेष चुनौती नहीं दी तथा मात्र वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अ,ब,स,द से दर्शित विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक-1 की पत्नी दुज्जी बाई को शासन से पट्टे पर प्राप्त होना बताया है। परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 की पत्नी दुज्जी बाई को शासन से पट्टे पर प्राप्त होकर उसका कब्जा प्रतिवादी क्रमांक-1 की पत्नी को प्राप्त हुआ था, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

08— यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी भले ही अपना पक्ष साबित करने में सफल नहीं हुआ है, परन्तु इस बात का लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है। वादी को अपना दावा अपने बल पर साबित करना होता है। वादी चरण सिंह (व0सा0 1) ने अपने समर्थन में स्वयं के शपथ पर कथन न्यायालय में कराये है तथा सर्वे क्रमांक-216/1/7 रक्बा-1.000 हैक्टेयर से संबंधित खसरा व खतौनी वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2016-17 की सत्यप्रतिलिपि क्रमशः प्र0पी0-1, 2, 4 व 5 प्रकरण में अपने समर्थन में प्रस्तुत की है, उपरोक्त दस्तावेजों में सर्वे क्रमांक-216/1/7 रक्बा-1.000 हैक्टेयर भूमि पर वादी चरण सिंह का नाम कब्जेदार की हैसियत से शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है परन्तु उक्त दस्तावेजों से यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है, वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द अक्षरों से दर्शायी गई विशिष्ट भूमि ही सर्वे क्रमांक-216/1/7 है।

09— वादी की ओर से पूर्व के कब्जों के आधार पर सर्वे क्रमांक-216/1/7 रक्बा-1.000 हैक्टेयर की विवादित भूमि जिसे संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द से चिह्नित किया गया है, कब्जों के आधार पर शासन द्वारा प्रकरण क्रमांक-42अ19/1999-2000 पारित आदेश दिनांक-04.09.2000 के द्वारा पट्टे पर प्राप्त होना बताया है परन्तु अभिलेख पर वादी की ओर से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शों में दर्शाये गये विवादित भाग पर कभी भी वादी का कब्जा रहा है या उक्त भूमि का कब्जा वादी को कभी भी शासन से प्राप्त हुआ

है इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तुत खसरो से यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि सर्वे क्रमांक-216/1/7 रक्बा-1.000 हैक्टेयर पर वादी वर्तमान में कब्जेंदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, परन्तु उक्त सर्वे क्रमांक वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में दर्शायी गई विवादित भूमि का है, यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है।

10— प्रकरण में बटा परिवर्तन के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में पुनः विचार के लिये तहसीलदार को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया है, इस संबंध में दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति नहीं है परन्तु वर्तमान में राजस्व अक्श में क्या स्थिति है तथा पूर्व की स्थिति क्या थी इस आशय का भी कोई राजस्व अक्श का दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी की ओर से प्र0पी0-3 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो कि तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण क्रमांक 2अ5/09-10 में पारित आदेश दिनांक-26.03.10 की सत्यप्रतिलिपि है, जिसमें सर्वे क्रमांक-216/1/3 के संबंध में अक्श में प्रस्तावित बंटाकन स्वीकार कर तर्मिम पुख्ता करने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश वरिष्ठ राजस्व न्यायालय से निरस्त हुआ है, या उक्त आदेश से सर्वे क्रमांक-216/1/7 की स्थिति में कोई प्रभाव पड़ा है, यह भी आदेश से स्पष्ट नहीं होता है।

11— वादी चरण (व0सा0 1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में यह कहता है कि “नये नक्शों में जिस स्थान पर उसकी जमीन बनी है, उस स्थान से जमीन मिटाकर पुराने नक्शों में जिस स्थान पर जमीन बनी है, वहां जमीन बना दी जाये, इस बात का उसने दावा किया है।” सर्वे प्रथम तो वादी की ओर से पूर्व के और वर्तमान के अक्श नक्शों प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये, और यदि वादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि विवादित भूमि जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में अ,ब,स,द से दर्शित किया गया है उक्त बंटाकन वर्तमान में राजस्व अक्श में उस स्थान पर नहीं है, तो वादी उक्त आधार पर भी वाद के साथ संलग्न नक्शों में चिह्नित की गई अ,ब,स,द अक्षरों से चिह्नित की गई भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य होने का दावा नहीं कर सकता जब तक की तहसील न्यायालय से राजस्व अक्श में परिवर्तन कर उक्त विवादित भूमि पर उसका बंटाकन स्वीकार न किया जावे जिसका सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का हो।

12— विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि खसरो में कई प्रविष्टि स्वत्व का प्रमाण नहीं हो सकती। किसी भी प्रकरण में भूमि पर स्वत्व को साबित करने के लिये स्वत्व के प्रमाण का दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त संबंध में इस न्यायालय का मत माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **Vishnu Sharan And Ors. vs Ajuddhibai And Ors. AIR 2004 MP 250**, में प्रतिवादित न्याय मत पर आधारित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि..... In my opinion, when a suit is based on title, filing of document is pre-supposed specially

when the title has been denied by defendants. In the present case, despite there being specific objection raised by the defendants in their written statement, the plaintiff did not file the document of his title i.e., patta and therefore, in my opinion, the title of the plaintiff can not be determined in the absence of its document

- 13— वर्तमान प्रकरण में वादी की ओर से वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में एक विशिष्ट भूमि अ,ब,स,द को सर्वे क्रमांक—216/1/7 बताया गया है, जिस पर ही विवाद की स्थिति है, क्योंकि उक्त सर्वे क्रमांक को प्रतिवादीगण द्वारा—216/1/3 बताया गया है। अतः ऐसे में यह स्पष्ट करने के लिये वर्तमान नक्शों अनुसार अ,ब,स,द से दर्शित भूमि का सर्वे क्रमांक वास्तव में—216/1/7 है, यह साबित करने के लिये वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। वादी उक्त भूमि पर पूर्व से कब्जा बता रहा है परन्तु उक्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा रहा या शासन द्वारा उसे कब्जा दिया गया एवं कब्जों के आधार पर शासन द्वारा उसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में दर्शायी गई भूमि अ,ब,स,द का पट्टा प्रदान किया गया, यह साबित करने के लिये वादी ने अपने स्वत्व का मूल दस्तावेज पट्टा ही प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया। अतः उपरोक्त न्यायमत को दृष्टिगत रखते हुये मात्र वादी की ओर प्रस्तुत खसरा व खतौनी वर्ष 2014—15 एवं वर्ष 2016—17 की सत्यप्रतिलिपि के आधार पर सर्वे क्रमांक—216/1/7 अथवा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शों में दर्शित अ,ब,स,द की विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित नहीं होता है और वादी का अ,ब,स,द अक्षरों से चिह्नित भूमि पर यदि स्वत्व व आधिपत्य ही प्रमाणित नहीं है, तो उक्त आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादीगण के द्वारा अ,ब,स,द अक्षरों से चिह्नित भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप कर कब्जा किया गया है अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक—1 व 2 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—04 व 05 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

- 14— प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों में यह आपत्ति ली गई है कि राजस्व मानचित्र में संशोधन की याचना के संबंध में तहसीलदार चंदेरी के न्यायालय में प्रकरण प्रचलित है जिस इस न्यायालय को राजस्व मानचित्र में संशोधन का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत इस वाद में शासन से कोई सहायता नहीं चाहिए और न ही अक्श नक्शों में संशोधन किये जाने के लिये ही कोई सहायता न्यायालय से चाही गई। यह वाद मुख्य रूप से वादी ने एक विशिष्ट भूमि पर पट्टे के आधार पर स्वत्व घोषणा एवं कब्जा वापसी की सहायता सहित प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है। जिसके श्रवण एवं विचारण का अनन्य क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। उपरोक्त आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक—4 का निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

- 15— जहां तक प्रतिवादीगण की आपत्ति है, की दावे में असंयोजन का दोष है तो इस संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि असंयोजन का दोष किस प्रकार है तथा प्रकरण में ऐसा कौन आवश्यक पक्षकार हो सकता था जिसे वादी ने प्रतिवादी के रूप या वादी के रूप में समायोजित नहीं किया है अतः उपरोक्त आधार पर दावे में असंयोजन का दोष है, यह प्रमाणित नहीं होता है। जिसके आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक 5 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-06 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

- 16— प्रस्तुत वाद में वादी ने मुख्य रूप से स्वत्व घोषणा की सहायता सहित पारिणामिक सहायता के रूप में कब्जा वापिसी की सहायता चाहिए है तथा साथ ही 6000/- रुपये प्रति फसल के हिसाब से अंतर लाभ धन कब्जा प्राप्त होने तक दिलाये जाने की सहायता सहित प्रतिवादीगण को वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई। प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों में मुख्य रूप से यह आपत्ति दी गई है कि वादी ने 6000/- रुपये अंतर लाभ धन प्रति फसल के हिसाब से दिलाये जाने की याचना की है। जिस पर न्यायशुल्क कम प्रस्तुत किया है।
- 17— सर्व प्रथम यह उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा 6000/- रुपये अंतर लाभ धन दिनांक-05.11.14 से कब्जा प्राप्त होने तक दिलाये जाने की सहायता चाहिए है। दावा दायर दिनांक को वादी यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि उसे कब्जा किस दिनांक को प्राप्त होगा तथा उक्त दिनांक तक कितना अंतर लाभ धन उसे प्राप्त होगा। भविष्य प्राप्त होने वाले अनिश्चित अंतर लाभ धन जिसकी गणना दावा दायरी दिनांक को नहीं हो सकती है उस पर दावा दायरी दिनांक को वादी न्यायशुल्क अदा नहीं कर सकता। ऐसी राशि के संबंध में यदि अंतर लाभ धन दिलाये जाने की डिक्री पारित की जाती है तो डिक्री निष्पादन के पूर्व उस पर न्यायशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। जिसके संबंध में यह नहीं माना जा सकता है कि वादी ने पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया है।
- 18— जहां तक स्वत्व घोषणा की सहायता के साथ कब्जा की वापिसी की सहायता है कि तो वह परिणामिक सहायता है जिसके लिये वादी को निश्चित न्यायशुल्क अदा करके न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 (iv) C के अनुसार एडवैलोरम न्यायशुल्क अदा करना था तथा ऐसी गणना के लिये न्यायालय के क्षेत्राधिकार के लिये निर्धारित की गई राशि और न्यायशुल्क की गणना के लिये निर्धारित की गई राशि एक ही होगी। वर्तमान प्रकरण में वादी ने वाद का मूल्यांकन 6000/- रुपये पर किया है अतः न्यायशुल्क के प्रयोजन के लिये वादी को उपरोक्त सहायता के लिये 6000/- रुपये पर न्यायशुल्क की अनुसूची-1 के अनुसार 12 प्रतिशत की दर से 720/- रुपये न्यायशुल्क अदा करना था तथा स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता के लिये भी पृथक से न्यायशुल्क अदा

करना था। जो कि वादी के द्वारा अदा न करके मात्र 600/- रुपये न्यायशुल्क अदा किया गया है जो कि कम है। अतः उपरोक्त संबंध में यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-6 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 व 07 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

सहायता एवं वाद व्यय:-

- 19- वादी विवादित भूमि पर अपना स्वत्व आधिपत्य दोनों ही प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है और न ही वादी यह प्रमाणित कर सका की प्रतिवादीगण ने उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप कर कब्जा कर लिया है। यदि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जाना ही प्रमाणित नहीं है, तो वादी प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का 6000/- रुपये प्रतिफसल के हिसाब से कब्जा प्राप्त करने की दिनांक तक अंतर लाभ धन अथवा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-3 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

- 20- वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:- यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:- वादी स्वयं का व प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

03:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार

न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो

वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो

व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.